

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :-339/2024

GCMS No. 2024/643

उनवान - गोपी चन्द पुत्र जयदयाल, निवासी दलौता

ब-ना-म

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री जयप्रकाश सैनी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एवं धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 09-09-2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र व दावा घोषणात्मक खातेदारी मय शपथ पत्र, आयकर विभाग का पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड (गोपी चन्द), प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांक: भू.अ./2025/2028 दिनांक 07.08.2025 के साथ संलग्न पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की रिपोर्ट में अंकित स्पष्ट अभिशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम दलौता पटवार मण्डल ठाठवाड़ी की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 22 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाता की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर घोषणा की जानी है)
1	दलौता	जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 22 खसरा नंबर 371, 529/340 किता 2 कुल रकबा 0.35 है.	गोपी पुत्र जयदयाल	गोपी चन्द पुत्र जयदयाल



(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

खेतड़ी, जिला झुन्झुनू
दिनांक :- 09-09-25

क्रमांक: राजस्व/2025/ 268-269

प्रतिलिपि :-1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री गोपी चन्द पुत्र जयदयाल निवासी दलौता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

